

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या- वनभूमि-29/2004-

व०प०, राँची, दिनांक-

प्रेषक

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- सी०सी०एल० के सयाल 'डी' परियोजना हेतु 192.35 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-8-66/2004-FC दिनांक-17.07.2008

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक परियोजना को प्रदत्त स्टेज-II की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1132 दिनांक-24.09.2019, पत्रांक-1087 दिनांक-04.12.2020, पत्रांक-1174 दिनांक-17.12.2020, पत्रांक-526 दिनांक-06.04.2021 एवं पत्रांक-42 दिनांक-12.01.2022 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में सन्निहित 192.35 हे० अधिसूचित वनभूमि विमुक्त की जाती है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-29/2004-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003/उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची, झारखण्ड-834002 को स्टेज-II के अनुपालन प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-29/2004-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल/उप महाप्रबंधक (वन एवं पर्या०), सी०सी०एल०, दरभंगा हाउस, राँची, झारखण्ड-834029 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-29/2004-

514

व०प०, राँची दिनांक- 25.02.2022

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website "forest.jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

उप परामर्शी।